लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :................................/ प्रवेश / 2018

दिनांक :. ....

कार्यालय–ज्ञाप

सूच्य है कि शासनादेश संख्या : वीआईपी–58 / सत्तर–1–2018–16(20) / 2011, दिनांक 24.08.2018 जिसके माध्यम से राज्य विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों में उनकी आवश्यकता, उनमें उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों आदि की उपलब्धता का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण करते हुये परिनियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार वर्ष 2018–19 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में सीट वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 24.08.2018 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :–

1. विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में बी0ए0, बी0एस–सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों में पूर्व संचालित सेक्शन में उपलब्ध अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के सापेक्ष एक सेक्शन में अधिकतम 80 सीटों की सीमा तक मात्र सत्र 2018–19 के प्रथम वर्ष में प्रवेश अनुमन्य किया जाता है।
2. किसी भी महाविद्यालय द्वारा नया सेक्शन संचालित नहीं किया जायेगा।

अतः सहयुक्त महाविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19.09.2018 तक विहित प्राविधानानुसार प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने का कष्ट करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : R/2353–59 दिनांक : 12/09/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
4. प्रो0 अनिल मिश्रा, इंचार्ज, वेबसाईट / डाटा रिसोर्स सेन्टर, ल0वि0वि0।
5. निदेशक, आई0पी0पी0आर0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
7. प्राचार्य, उपरोक्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।

(अरूण कुमार यादव)
उप कुलसचिव (प्रवेश)
कृते कुलसचिव